

फॉर्म II

पावरग्रिड बीकानेर IV ट्रांसमिशन लिमिटेड
(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली-110 016

सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत)

एक. पावरग्रिड बीकानेर IV ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित है, ने पारेषण लाइनों के संबंध में पारेषण लाइसेंस प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन किया है। सब-स्टेशन और अन्य परिसंपत्तियां, जिनका विवरण दिया गया है: -

क्रमांक	पारेषण परिसंपत्तियों का नाम और स्थान	लाइन की लंबाई/क्षमता	पूरा होने का अनुमान लागत	अनुसूची सीओडी (जोड़ के मामले में)	टिप्पणियां
1	220 केवी सेक्शन लाइज़र बे, 220 केवी बीसी बे और 220 केवी टीबीसी बे के साथ 2x500 एमवीए (7वां और 8वां), 400/220 केवी आईसीटी का विस्तार	आईसीटी: 2 नग (500 एमवीए), 400/220 केवी 400 केवी आईसीटी बे: 2 नग। 220 केवी आईसीटी बे: 2 नग। 220 केवी बे: 3 नग।	122.88 करोड़	05.02.2027	विनियमित टैरिफ तंत्र के तहत कार्यान्वित किया जाना है
2	3 का कार्यान्वयन। मेसर्स फ्यूरीज़ सोलरेन प्राइवेट लिमिटेड (300 मेगावाट) [1 नग बे] और मेसर्स एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (500 मेगावाट) के इंटरकनेक्शन के लिए 220 केवी लाइन बे [2 नंबर	220 केवी बे: 3 नग।	18.54 करोड़	11.11.2026	विनियमित टैरिफ तंत्र के तहत कार्यान्वित किया जाना है

Handwritten signature

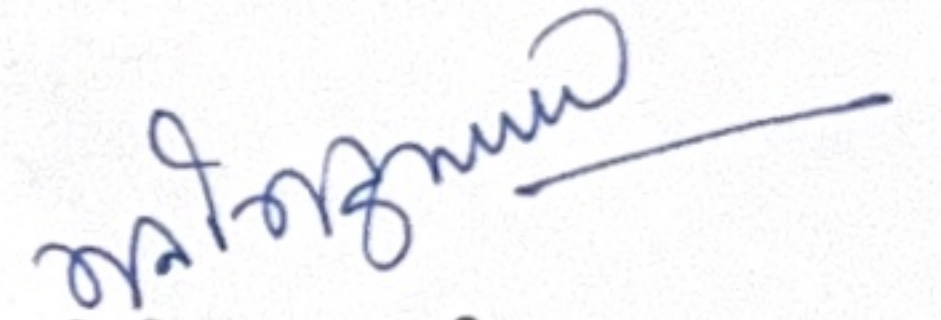
बे] आरई पावर परियोजनाएं 765/400/220 केवी बीकानेर-IV पीएस पर				
---	--	--	--	--

दो. आयोग के समक्ष दायर किए गए पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं www.powergrid.in/subsidiaries किसी भी व्यक्ति की पहुंच के लिए। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय सी/ओ ईडी (टीबीसीबी), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुड़गांव 122001 में श्री मनोज कुमार पांडे, परियोजना प्रभारी, पावरग्रिड बीकानेर IV ट्रांसमिशन लिमिटेड या आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोग के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

तीन. आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, समाचार पत्र में नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर आवेदक या उसके प्राधिकृत एजेंट को आपत्ति(ओं)/सुझाव (सुझावों) की एक प्रति के साथ सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, 6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल, टॉवर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली- 110029 के समक्ष दायर किए जाएं।

समय: 23.06.2025

स्थान: बीकानेर



परियोजना प्रभारी,
पावरग्रिड बीकानेर IV ट्रांसमिशन लिमिटेड

एच. के. पांडे/M.K. Pandey
मुख्य महाप्रबन्धक/Chief General Manager
परियोजना प्रभारी/Project in-charge
पावरग्रिड बीकानेर IV ट्रांसमिशन लिमिटेड
POWERGRID Bikaner IV Transmission Limited